

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23]	दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 22, 2005/फाल्गुन 3, 1926	[स.रा.रा.के.दि. सं. 345
No. 23]	DELHI, TUESDAY, JANUARY 22, 2005/PHALGUNA 3, 1926	[N.C.T.D. No. 345

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 22 जनवरी, 2005

सं. फा. 21/20/76-स्वा. एवं प.क.—औषधि एवं प्रसूतन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 2 (1) के साथ पठित नियम 59 के उप नियम (1) तथा नियम 67 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल, श्री पी. के. जग्गी, औषधि नियंत्रक, जिनके पास सहायक औषधि नियंत्रक का अधिकार है, को सम्पूर्ण दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के लिए उक्त नियमावली के भाग-6 तथा भाग-6क, के उद्देश्यों को पूर्ति हेतु लाइसेंस प्राधिकारी के रूप में तत्काल नियुक्त करते हैं।

DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE

NOTIFICATIONS

Delhi, the 22nd February, 2005

No. F. 21(20)/76-H&FW.—In the exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 59 and sub-rule (1) of 67A read with rule 2(i) of the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to appoint Sh. P. K. Jaggi, Drugs Inspector, holding the charge of Assistant Drugs Controller as Licensing Authority for Part-VI and Part-VIA of the said Rules, for the whole of the National Capital Territory of Delhi, with immediate effect.

सं. फा. 21/20/76-स्वा. एवं प.क.—औषधि एवं प्रसूतन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 2 (1) के साथ पठित नियम 69 के उप नियम (1) 85 (ख) के उप नियम (1) नियम 90 के उप नियम (1) तथा नियम 138 के उप नियम (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल, श्री पी.के. जग्गी, सहायक औषधि नियंत्रक, जिनके पास उप औषधि नियंत्रक का अधिकार है, को